

नीचे लिखे गए 30 दिनों में आवधि-अतीत
 वर्ष हुए हैं इसलिए आवधि क्र. 1-4 की
 आ प्रमाण (किया जाना इच्छित है) परावली
 का आवलीक (किया) वमील आवधि के कर्तव्य
 एवं परावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के पर
 प्रचलन दृष्टि विश्वास करते हुए आवधि
 के विवरण इस आशय की अस्वीकार निषेधाज्ञा
 जारी की जाती है कि-वे विवादात्मक क्रमिक
 13 पी.एन के अनुक्रम आता से-30 में आवधि
 क्र. नं. 5 फ. नं. $\frac{2011}{323}$ की कुल 2-986 (दो हजार)
 भारतीय क्रमिक में आवधि के एक-दस्ता
 की क्रमिक पर आगामी तारीख पैरी प्राथम्य
 तक रिकार्ड की अवाप्ति अज्ञात रखें।
 परावली दिनांक 21/11/2022 को पैरा दो

21/11/22

परावली पैरा दो के वकील आवधि अनुपस्थित हैं।
 आवधि क्र. 4 की आ काउ तामील प्राप्त नहीं/अवधि
 1 की आ प्राप्त नहीं है, जिसकी तामील आवधि
 प्रमाण पर प्रमाणित होती है वकील आवधि को
 क्रम-2 का आ-2 अज्ञान लगाए गयी।
 धारित नहीं है। लिखित आवधि-यह आवधि वकील
 आवधि की अज्ञान आवधि-अज्ञान पैरा में खाली किया
 जाता है, तथा-प्रमाणित द्वारा प्रमाणित आवधि
 दिनांक 21/11/2022 को निरस्त किया जाता है। परावली
 पैरा दो में अज्ञान होने से कुल 986 (दो हजार)



पंचण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर